

कार्यालय, जिला शिक्षा अधीक्षक, गुमला ।

समाहरणालय के पीछे, ब्लॉक परिसर, गुमला-835207

आवश्यक सूचना

गुमला जिले के प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षिकाओं को सूचित किया जाता है कि आपकी औपबंधिक वरीयता सूची का प्रकाशन जिले के वेबसाइट **www.Gumla.nic.in** पर किया गया है। औपबंधिक वरीयता सूची का निर्माण प्रोन्नति नियमावली 1993 के निदेशानुसार विभागीय संकल्प संख्या 3027 दिनांक 14.12.2015 एवं संकल्प संख्या 1145 दिनांक 18.07.2019 तथा दिनांक 30.09.2020 को निदेशक, (प्रा0शि0) स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक एवं जिला शिक्षा अधीक्षकों के साथ विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (VC) में दिए गए निदेश के आलोक में कार्यरत शिक्षकों (अनुकम्पा सहित) का आपसी वरीयता नियुक्ति तिथि के आधार पर की गई है। अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति तिथि से ग्रेड-1 की प्रक्रिया जिला शिक्षा स्थापना समिति, गुमला में प्रक्रियाधीन है। अतः नियुक्ति तिथि से ग्रेड-1 मानकर यथास्थान अंकित किया गया है।


उक्त वरीयता सूची की प्रविष्टियों में यदि आपका प्रवृष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि हो तो निम्न प्रारूप पर सुधार हेतु शुद्ध प्रविष्टि अंकित कर साक्ष्य के साथ कार्यालय में जमा करें।

G.P.F/C.P.S No. / शिक्षक / विद्यालय का नाम	सुधार कॉलम	अशुद्ध (गलत) प्रवृष्टि	शुद्ध (सही) प्रवृष्टि

उक्त वरीयता सूची में किसी कारणवश किसी शिक्षक/शिक्षिका का नाम छूट गया हो तो संलग्न शिक्षक सेवा सूचना प्रपत्र पूर्ण रूपेण भर कर सभी आवश्यक साक्ष्य/प्रमाण-पत्र की छायाप्रति जो स्व अभिप्रमाणित हो, कार्यालय में जमा कर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर लें।

उपरोक्त दावा/आपत्ति से विलग यदि किसी प्रकार का अन्य दावा/आपत्ति शिक्षक/शिक्षिका करना चाहें, तो विस्तृत विवरण साक्ष्य सहित कार्यालय के आवेदन उपलब्ध करायेंगे।

सभी प्रकार के दावा/आपत्ति दिनांक 15.10.2020 अपराह्न 5:00 बजे तक कार्यालय में हार्ड कॉपी कार्यालय में जमा करते हुए उसका साफ्ट कॉपी कार्यालय के ईमेल आई0 डी0 **mdmgumla@gmail.com** में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। समय समाप्ति के उपरांत यदि किसी प्रकार का आपके द्वारा त्रुटि निराकरण हेतु कोई आवेदन समर्पित (उपरोक्त निदेशानुसार) नहीं की जाती है, तो यह समझा जाएगा कि आपको इस संदर्भ में कुछ नहीं कहना है, तथा इसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।


जिला शिक्षा अधीक्षक,
गुमला।
